समाहरणालय, दरभंगा
(जिला स्थापना शाखा)

दिनांक-29.01.2015 को समाहर्त्ता, दरभंगा की अध्यक्षता में सम्पन्न संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–2804/का0, दिनांक–29.03.2010 की कंडिका–5 में सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सेवाएँ लिए जाने के दो तरीके दिए गये हैं :–

(क) भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारी एवं कर्मियों का चयन।

(ख) जो पूर्व से सेवानिवृत्त हो गये हैं, उनका चयन।

उक्त संकल्प की कंडिका–(क) के तहत दिनांक–29.01.2015 को आयोजित संविदा के आधार पर चयन समिति की बैठक में निम्नलिखित मामले पर विचार किया गया :–

क्र0 सं0	नाम एवं पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री पाँचू चौधरी, संग्रहालयाध्यक्ष	महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय, दरभंगा	31.01.2015	पत्रांक–119, दिनांक–09.01.2015 द्वारा आवेदन प्राप्त।
2	श्री सत्य नारायण राय, आशुटंकक	आयुक्त कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	31.01.2015	आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक–15/स्था0, दिनांक–07.01.2015
3	श्री अब्दुल खालिक तमन्ना, उच्च वर्गीय लिपिक	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा	31.01.2015	संयुक्त आयुक्त –सह– सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा के पत्रांक–10, दिनांक–07.01.2015 चयन हेतु अग्रसारित।साथ ही प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–419, दिनांक–22.01.2015 के द्वारा इनका आवेदन पत्र भेजते हुए इस पर जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा उपलब्ध कराने का निदेश प्राप्त है।
4	श्री राम नन्दन यादव, पंचायत सेवक	प्रखंड कार्यालय, हनुमाननगर	31.01.2015	प्रखंड विकास पदाधिकारी, हनुमाननगर के पत्रांक–1664, दिनांक–03.12.2014
5	श्री गणेश यादव, पंचायत सेवक	प्रखंड कार्यालय, हनुमाननगर	31.01.2015	प्रखंड विकास पदाधिकारी, हनुमाननगर के पत्रांक–1663, दिनांक–03.12.2014
6	श्री योगेन्द्र सिंह, पंचायत सेवक	प्रखंड कार्यालय, तारडीह	31.01.2015	प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारडीह के पत्रांक–1228, दिनांक–04.12.2014
7	श्री विनोद कुमार लाल, राजस्व कर्मचारी	अंचल कार्यालय, हायाघाट	31.01.2015	अंचल अधिकारी, हायाघाट के पत्रांक–3, दिनांक–02.01.2015
8	श्री विश्वनाथ चौधरी, प्रधान लिपिक	मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा	31.01.2015	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक–2026, दिनांक–08.12.2014
9	श्री दिनेश्वर ठाकुर, पंचायत सेवक	प्रखंड कार्यालय, बिरौल	31.01.2015	प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिरौल से अनुशंसा प्राप्त नहीं है।
10	श्री महेश कान्त चौधरी, पंचायत सचिव	प्रखंड कार्यालय, जाले	31.01.2015	प्रखंड विकास पदाधिकारी, जाले के पत्रांक–200, दिनांक–26.01.2015

उपर्युक्त क्रम संख्या–1 पर अंकित श्री पाँचू चौधरी, संग्रहालयाध्यक्ष का आवेदन पत्र पत्रांक–119, दिनांक–09.01.2015 द्वारा प्राप्त है। प्रतिवेदनानुसार ये मानसिक एवं शारीरिक रूप से वर्त्तमान कार्य के दायित्व को निभाने योग्य है। साथ ही श्री चौधरी द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि उनके विरूद्ध निगरानी का मामला/कोई गंभीर आरोप/किसी तरह का आपराधिक मामला नहीं है।

उपर्युक्त क्रम संख्या–2 पर अंकित श्री सत्यनारायण राय, आशुटंकक का आवेदन पत्र आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक–15/स्था0, दिनांक–07.01.2015 द्वारा जिला स्तर पर गठित चयन समिति के निर्णयार्थ प्राप्त है। साथ ही श्री राय के द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि उनके विरूद्ध निगरानी का कोई मामला/विभागीय कार्यवाही/कोई गंभीर आरोप/कोई आपराधिक मामला नहीं है।

उपर्युक्त क्रम संख्या–3 पर अंकित श्री अब्दुल खालिक तमन्ना, उच्च वर्गीय लिपिक, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा का आवेदन पत्र संयुक्त आयुक्त –सह– सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा के पत्रांक–10, दिनांक–07.01.2015 द्वारा चयन हेतु प्राप्त है। साथ ही प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–419, दिनांक–22.01.2015 के द्वारा इनका आवेदन पत्र भेजते हुए इस पर जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा उपलब्ध कराने का निदेश प्राप्त है। आवेदक श्री तमन्ना द्वारा एक शपथ पत्र दिया गया है कि इनके विरूद्ध निगरानी का कोई मामला/विभागीय कार्रवाई/कोई गंभीर आरोप/कोई आपराधिक मामला नहीं है। ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं।

उपर्युक्त क्रम संख्या–4 पर अंकित श्री राम नन्दन यादव, पंचायत सेवक का आवेदन पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी, हनुमाननगर के पत्रांक–1664, दिनांक–03.12.2014 द्वारा अनुशंसित है। प्रतिवेदनानुसार इनके विरूद्ध कोई निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/कोई गंभीर आरोप/कोई आपराधिक मामला नही है। उक्त आशय का शपथ पत्र भी आवेदक द्वारा दिया गया है। ये अनुभवी कर्मी हैं।

उपर्युक्त क्रम संख्या–5 पर अंकित श्री गणेश यादव, पंचायत सेवक का आवेदन पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी, हनुमाननगर के पत्रांक–1663, दिनांक–03.12.2014 द्वारा अनुशंसित है। प्रतिवेदनानुसार इनके विरूद्ध निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/कोई गंभीर आरोप/कोई आपराधिक मामला नहीं है। उक्त आशय का शपथ पत्र भी आवेदक द्वारा दिया गया है। ये अनुभवी कर्मी हैं।

उपर्युक्त क्रम संख्या–6 पर अंकित श्री योगेन्द्र सिंह, पंचायत सेवक का आवेदन पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारडीह के पत्रांक–1228, दिनांक–04.12.2014 द्वारा अनुशंसित है। पुनः पत्रांक–1243, दिनांक–12.12.2014 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सिंह पर निगरानी का कोई मामला/विभागीय कार्यवाही/काई आपराधिक मामला/कोई गंभीर आरोप नहीं है। उक्त आशय का शपथ पत्र आवेदक द्वारा भी दिया गया है। ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं।

RAJESH

उपर्युक्त क्रम संख्या–7 पर अंकित श्री विनोद कुमार लाल, राजस्व कर्मचारी का आवेदन पत्र अंचल अधिकारी, हायाघाट के पत्रांक–3, दिनांक–02.01.2015 द्वारा अनुसंशित है। प्रतिवेदनानुसार श्री लाल के विरूद्ध निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/कोई गंभीर आरोप/कोई आपराधिक मामला नहीं है। उक्त आशय का शपथ पत्र आवेदक द्वारा भी दिया है। ये अनुभवी, मेहनती, सुयोग्य एवं स्वस्थ कर्मचारी हैं।

उपर्युक्त क्रम संख्या–8 पर अंकित श्री विश्वनाथ चौधरी, प्रधान लिपिक का आवेदन पत्र वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक–2026, दिनांक–08.12.2014 द्वारा अनुसंशित है। ये पूर्ण रूप से स्वस्थ कर्मी हैं। आवेदक श्री चौधरी द्वारा एक शपथ दिया गया है कि इनके विरूद्ध निगरानी का कोई मामला/विभागीय कार्यवाही/कोई गंभीर आरोप /कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

उपर्युक्त क्रम संख्या–9 पर अंकित श्री दिनेश्वर ठाकुर, पंचायत सेवक द्वारा सीधे आवेदन दिया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिरौल का अनुशंसा प्राप्त नहीं है तथा इनके विरूद्ध कार्रवाई से संबंधित कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है।

उपर्युक्त क्रम संख्या–10 पर अंकित श्री महेश कान्त चौधरी, पंचायत सचिव का आवेदन पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी, जाले के पत्रांक–200, दिनांक–26.01.2015 के द्वारा प्राप्त है। आवेदक श्री चौधरी द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि उनके विरूद्ध निगरानी का कोई मामला/विभागीय कार्रवाई/कोई गंभीर अरोप/कोई आपराधिक मामला नहीं है। ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं।

क्रम संख्या–1 पर अंकित श्री पाँचू चौधरी, संग्रहालयाध्यक्ष, वरीय राजपत्रित पदाधिकारी हैं। अतः श्री चौधरी का आवेदन पत्र विभागीय संकल्प संख्या 2804/का0, दिनांक–29.03.2010 की कंडिका–5(क) के अनुरूप पाये जाने के कारण सर्वसम्मति से इनका आवेदन पत्र अनुसंशित करने तथा दिनांक–01.02.2015 से संविदा पर नियोजन हेतु कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, विकास भवन, बिहार, पटना को भेजने का निर्णय लिया गया।

अतएव क्रम संख्या–2 पर अंकित श्री सत्य नारायण राय, आशुटंकक/क्रम संख्या–3 पर अंकित श्री अब्दुल खालिक तमन्ना, उच्च वर्गीय लिपिक/क्रम संख्या–4 पर अंकित श्री राम नन्दन यादव, पंचायत सेवक/क्रम संख्या–5 पर अंकित श्री गणेश यादव, पंचायत सेवक/क्रम संख्या–6 पर अंकित श्री योगेन्द्र सिंह, पंचायत सेवक/क्रम संख्या–7 पर अंकित श्री विनोद कुमार लाल, राजस्व कर्मचारी/क्रम संख्या–8 पर अंकित श्री विश्वनाथ चौधरी, प्रधान लिपिक/क्रम संख्या–10 पर अंकित श्री महेश कान्त चौधरी, पंचायत सेवक का आवेदन पत्र विभागीय संकल्प संख्या–2804/का0, दिनांक–29.03.2010 की कंडिका–4 एवं 5(क), ज्ञापांक–13478/सा0प्र0, दिनांक–12.12.2011, ज्ञापांक–11338/सा0, दिनांक–09.07.2013 एवं पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–32, दिनांक–24.01.2014 के अनुरूप पाये जाने के कारण सर्वसम्मति से दिनांक–01.02.2015 से निम्नलिखित शर्त्तों के साथ संविदा के आधार पर नियोजन करने का निर्णय लिया गया।

1. यह चयन प्रथम दो वर्षों के लिए होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष, आवश्यकतानुसार एक–एक वर्ष के लिए उनके सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षोपरान्त की जा सकेगी।
2. नियोजित कर्मी का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होनेवाले अंतिम मूल वेतन से पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वही देय होगा।
3. नियोजित कर्मियों की कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उन्हें हटाया जा सकेगा।
4. सरकार द्वारा उपर्युक्त पदों पर सीधी नियुक्ति के साथ ही उपर्युक्त नियोजन स्वतः समाप्त समझे जायेंगे।

क्रम संख्या–9 पर अंकित श्री दिनेश्वर ठाकुर, पंचायत सचिव, प्रखंड कार्यालय, बिरौल का आवेदन पत्र कार्यालय प्रधान द्वारा अनुशंसित नहीं होने तथा विभागीय ज्ञापांक–2804/का0, दिनांक–29.03.2010 की कंडिका–5(घ) के आलोक में इनके विरूद्ध निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप/कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होने के संबंध में प्रतिवेदन नहीं दिए जाने के कारण सर्वसम्मति से निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

नियुक्ति पदाधिकारी उपरोक्त चयन के अनुसार अपने स्तर से नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे तथा नियोजित कर्मी को आदेश देंगे कि वे पत्र प्राप्ति के साथ दिनांक–01.02.2015 से अपना योगदान पदस्थापन स्थान पर देना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा यह समझा जायेगा कि वे कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं और नियोजन स्वतः रद्द माने जायेंगे।

ह0–	ह0–	ह0–	ह0–	ह0–	ह0–	ह0–
जि0पं0राज पदा0, दरभंगा।	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा।	वरीय उप समाहर्त्ता, जिला विकास शाखा, दरभंगा।	स्थापना उप समाहर्त्ता, दरभंगा।	उप विकास आयुक्त, दरभंगा।	अपर समाहर्त्ता, दरभंगा।	स मा ह र्त्ता, दरभंगा।

ज्ञापांक–02–63/2014– 160 /स्था0, लहेरियासराय, दिनांक 29 वीं जनवरी, 2015

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संयुक्त आयुक्त –सह– सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को पत्रांक–419, दिनांक–22.01.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/1/15
स मा हर्त्ता,
दरभंगा।

RAJESH

29/1/15